

अध्याय 10

चलें मण्डी घूमने

आठ बजते-बजते हम सब स्कूल गेट के पास इकट्ठे हो गये थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। हमारे शिक्षक हम लोगों को घुमाने के लिए पटना सिटी के मारुफगंज अनाज एवं मसाला मण्डी ले जा रहे थे।



मण्डी पहुँचते ही हमने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ ट्रक, माल ढोने वाले टेम्पो और सामान ढोने वाले ठेले नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम अनाज मण्डी नहीं बल्कि ट्रक व टेम्पो स्टैंड में आ गए हैं। मण्डी में हमने देखा कि कई बड़े-बड़े गोदाम एवं दुकानें थीं। कुछ खाने के होटल एवं बोरे-थैले की दुकानें भी थीं।

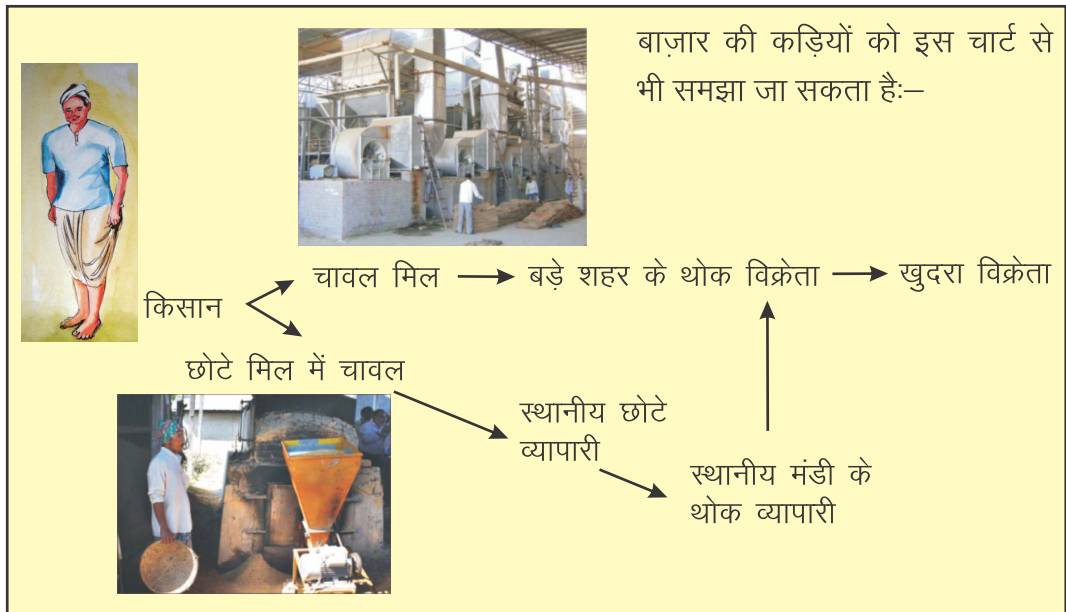
मण्डी का एक व्यापारी सुलेमान जी हमारे शिक्षक के परिचित थे।



वे हम सभी को मण्डी की एक खास गली में ले गये। वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक से चावल की बोरीयाँ उतारी जा रही हैं। सुलेमान जी ने बताया कि इस गली में केवल चावल एवं गेहूँ की थोक दुकानें हैं। फिर उन्होंने ट्रक चालक से पूछकर बताया कि ये चावल रोहतास जिले के चावल मिल से आया है। इसके अलावा इस मण्डी में भागलपुर, चम्पारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, गया तथा पटना एवं आसपास से भी चावल आते हैं। चावल बिहार का प्रमुख खाद्यान्न है।

छोटे किसान अपने गाँव या अगल-बगल के गाँवों में स्थित छोटी धान कूटने वाली मिलों में चावल बनवाकर अपने पास रख लेते हैं। उसमें से अपने उपभोग के लिए चावल रखकर शेष चावल को चावल खरीदने वाले छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपेक्षाकृत चावल का कम मूल्य मिलता है लेकिन इससे उन्हें सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये छोटे व्यापारी चावल को स्थानीय मण्डी के थोक व्यापारी को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी शहर के बड़े थोक व्यापारी को अपना चावल बेच देते हैं।

कुछ किसान अपने धान को सीधे बड़े चावल मिल को बेच देते हैं। शहरों के थोक विक्रेता, मिल से चावल खरीदते हैं एवं शहर के खुदरा व्यापारी को बेचते हैं।



किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों के हितों का संरक्षण करना है।

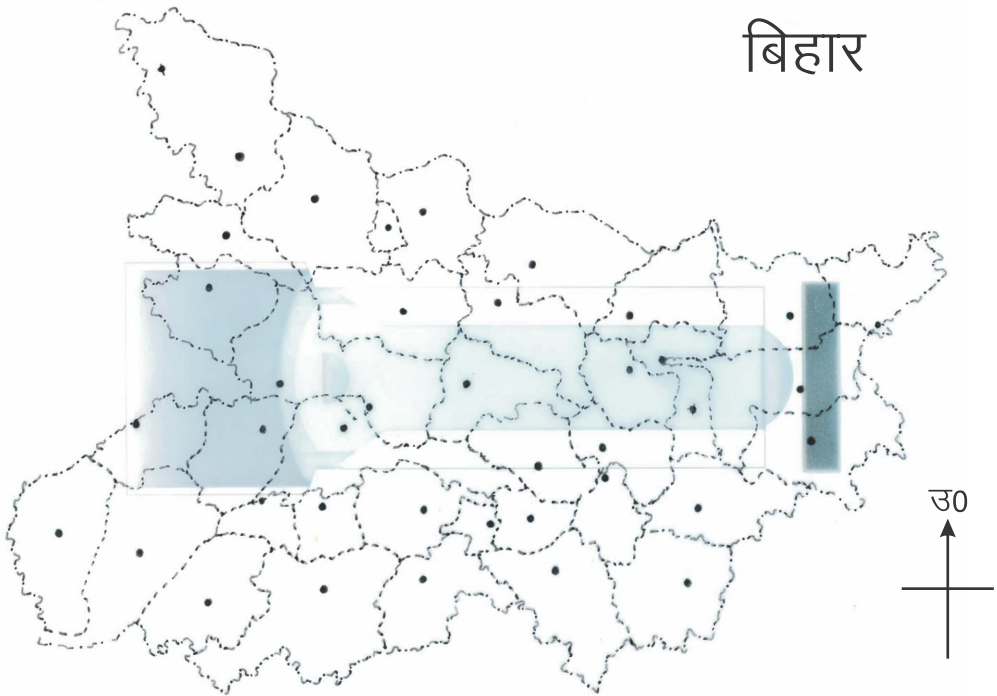
प्रत्येक किसान को अपनी फसल के लिए कम से कम इस सरकारी दर की उम्मीद होती है। लेकिन बिहार के अधिकांश किसान इससे वंचित रहते हैं। सरकारी एजेन्सियाँ किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है। लेकिन बिहार में किसानों को इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इससे किसानों का हक मारा जाता है।

1. उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुँचाने के क्या-क्या तरीके हैं?
2. थोक और खुदरा बाज़ार में क्या अंतर है?
3. थोक बाज़ार की जरूरत क्यों होती है? चर्चा करें।
4. छोटे किसान को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है?

?

खेत-खलिहान से मिल तक

इसके पश्चात् सुलेमान चाचा हम लोगों को आगे लेकर चले। यहाँ लगातार गेहूँ की कई थोक दुकानें थीं। प्रायः सभी दुकानों में आगे बड़ी-बड़ी तराजू एवं पीछे गोदाम था। इन दुकानों में गेहूँ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आता है। गेहूँ बिहार की दूसरी मुख्य फसल है। चावल की तरह गेहूँ भी किसानों से मण्डी तक पहुँचता है। गली के अंत में कुछ दुकानें सूजी, आटा और मैदा की थीं। सुलेमान जी ने बताया कि, “तुम्हारे घर के आस-पास जो आटा चक्की होती है वहाँ से यह आटा या मैदा नहीं आया है। इनकी काफी बड़ी-बड़ी मिलें होती हैं। ऐसी मिलें पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर आदि जगहों पर हैं। ये मिल थोक मंडियों तथा बड़े किसानों से गेहूँ खरीदते हैं। मिल में ये गेहूँ से सूजी, मैदा तथा आटा बनाते हैं। इससे प्राप्त हुआ चोकर भी पशुओं के खाद्य के रूप में अच्छे मूल्य पर बिक जाता है। इससे मिल मालिकों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है।



1. बिहार के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर ज़िले धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बिहार के कुल चावल उत्पादन के 30 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन होता है तथा काफी चावल मिलें हैं।
2. बिहार में रोहतास, चम्पारण, सीवान, मुजफ्फपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि जिलों में गेहूँ की अच्छी खेती होती है।
3. बिहार में पश्चिम चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक ज़िले हैं।

पीछे दिये गये मानचित्र में दर्शाएँ

- क. धान उत्पादक क्षेत्र
- ख. गेहूँ उत्पादक क्षेत्र
- ग. सरसों उत्पादक क्षेत्र



इसके बाद सुलेमान जी हम बच्चों को बाज़ार के दूसरे हिस्से में लेकर गए। कुछ ठेलों पर ढेर सारे टीन के खाली कनस्तर लदे हुए थे। सुलेमान जी ने बताया कि ये सरसों तेल के खाली डिब्बे हैं जिन्हें खुदरा व्यवसायी हमारे-तुम्हारे घरों से खरीदकर लाते हैं। बिहार में खाने में अधिकांशतः सरसों तेल का प्रयोग होता है। गाँवों में किसान जो प्रायः अपने उपभोग के लिए सरसों उपजाते हैं वे नज़दीकी पेराई मिल में सरसों ले जाकर पेराई कराकर तेल एवं खल्ली ले आते हैं तथा पेराई का मूल्य दे देते हैं। खल्ली जानवरों के भोजन के रूप में काम आती है। कुछ ऐसे दुकानदार (पेराई मिल वाले) भी होते हैं जो सरसों लेकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें तेल दे देते हैं।

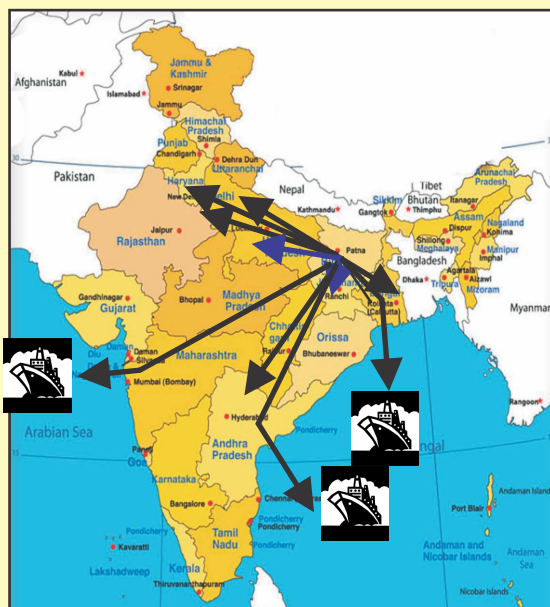
बिहार में उत्पादन के प्रायः सम्पूर्ण भाग का खपत अपने प्रदेश में ही हो जाता है। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों से होती है। वहाँ से सरसों तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में आते हैं। सुलेमानजी ने कहा, 15 किलोग्राम के पैक इन्हीं कनस्तरों में आते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये खाली कनस्तर पुनः उन्हीं तेल कारखानों या पैकिंग स्थल पर भेज देते हैं।

इसके बाद सुलेमान जी हम लोगों को मंडी के उस हिस्से में लेकर गये, जिसमें मक्का (मकई) की खरीद-बिक्री होती है।

बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का बहुत लोगों का आहार भी है। यहाँ लोग मक्के का सत्तू आटा एवं दर्दा का प्रयोग खाने में करते हैं। सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसानों से स्थानीय छोटे व्यापारी खरीदते हैं। ये व्यापारी इसे मंडी के थोक व्यापारी को बेचते हैं। थोक व्यापारी इन्हें मिलों में बेचते हैं। ये मिल वाले जानवरों एवं मुर्गियों का चारा बनाते हैं। किसान सीधे अगर मंडी में आकर या चारा बनाने वाली मिलों को बेचते तो उन्हें उनके मक्का का अधिक मूल्य मिलता। नियंत्रित मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पाद बेचते तो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता लेकिन बिहार में नियंत्रित मंडी की व्यवस्था नहीं के बराबर है। इस कारण किसान अपनी फसल को स्थानीय व्यवसायियों या निजी मिलों को बेचने को बाध्य रहते हैं। किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाकर ये व्यवसायी उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। प्रायः यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम होता है। यदि मंडी तक सभी किसानों की पहुँच हो जाये तो उन्हें अपनी फसल का

पूर्व बिहार और कोसी इलाके में मक्का की काफी अच्छी खेती हो रही है।

यहाँ से करीब 6 लाख टन मक्का प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों और देशों को भेजा जा रहा है।



कहाँ और कैसे

कोसी इलाकों से जैसे नवगछिया, मानसी, सिमरी बख्तियारपुर, सेमापुर और गुलाबबाग (पूर्णिया) आदि जगहों से मक्का रेलवे द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड तथा आंध्रप्रदेश को जाता है। दिल्ली, प. बंगाल, उत्तरप्रदेश और झारखण्ड में ट्रकों से मकई भेजा जाता है। कोलकाता होते हुए यह मक्का बंगलादेश को जाता है तथा विशाखापट्टनम् और मुंबई के बंदरगाहों से यह मक्का पानी के जहाज़ से अर्जेंटीना और मलेशिया तक जाता है।

उचित मूल्य मिलने लगेगा। इससे स्थानीय व्यवसायी भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने को बाध्य हो जायेंगे।

1. इन फसलों में से दो फसलों के बाज़ार की कड़ियों (किसान से उपभोक्ता) का रेखा-चित्र बनाएँ, जो आपके इलाके में उगाया जाता है।
(i) गेहूँ (ii) मक्का (iii) दलहन (iv) सरसों
2. आपके आसपास कोई मिल है क्या? वहाँ फसल कैसे पहुँचती है? पता लगाएँ।
3. सरकार द्वारा चलायी गयी नियंत्रित मंडी क्या है? शिक्षक के साथ चर्चा करें।
4. बिहार में मक्का उद्योग लगाने की काफी संभावनाएँ हैं। जिनमें मक्के के विभिन्न उत्पाद जैसे-स्टार्च, बेबीकार्न, पॉपकार्न, कार्न-फ्लेक्स, मक्के का आटा, मुरगियों का चारा, मक्के का तेल आदि बनाया जा सकता है। इनके क्या फायदे नुकसान हैं, चर्चा करें।

?

बागान से मंडी

अब दिन के दो बज चुके थे। हमें भूख लग गई थी और हम काफी थक भी गए थे। शिक्षक ने कहा, “अब हमलोगों को चलना चाहिए। अगले सप्ताह फलों की मंडी पटना के ‘बाज़ार समिति’ चलेंगे।”

अगले सप्ताह हम सुबह-सुबह फल मंडी पहुँचे। यहाँ चारों ओर फलों की ही दुकानें थीं। कहीं आम ही आम नज़र आ रहे थे तो कहीं केले की बड़ी-बड़ी आड़त थी। कहीं सेव ही सेव थे तो कहीं नारंगी की ढेर और कहीं अंगूर की बहुत सारी पेटियाँ रखी हुई थीं। कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। हमारे शिक्षक के अनुरोध पर महताब साहब फल मंडी के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए।

सबसे पहले महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग की ओर ले गए जहाँ आम व लीची के बड़े-बड़े टोकरे और पेटियाँ रखी हुई थीं। यहाँ कई तरह के आम नज़र आ रहे थे। कुछ आम कच्चे तथा कुछ आम पके थे। कई प्रकार की लीचियाँ थीं, कुछ बड़े, कुछ आकार में छोटे और सूखे। ये बागान से फलमंडी तक पहुँचने में देर होने के कारण सूख गए थे।



फलों के बागान से फल मंडी तक पहुँचने एवं फल मंडी से उपभोक्ता तक पहुँचने में कई चरण होते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। महताब साहब ने सबसे पहले हमें आमों के बारे में बताया। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। पटना शहर के दीघा का दूधिया मालदह एवं भागलपुर का जर्दालु आम अपने स्वाद और सुगंध

के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें बिहार से बाहर भी भेजा जाता है।

इस मंडी में आम बिहार के कई हिस्सों से आता है। फल मंडी से छोटे दुकानदार, टेलेवाले और टोकरियों में फल बेचनेवाली महिलाएँ फल खरीदती हैं। इस प्रकार पटना के बाजारों और मोहल्लों में फल पहुँचता है।



महताब साहब ने बताया कि बागान से मंडी तक आम कई कड़ियों से हो कर आता है।

पहला— व्यापारी किसानों से उनके आम के बागान को मंजर आने के बाद खरीद लेते हैं। वे पेड़ की धुलाई एवं कीटनाशक का छिड़काव अपने स्तर से करते हैं। वे किसान से यह

करार करते हैं कि आम उत्पादन का कुछ हिस्सा वह किसान को देंगे। फल आने के बाद वह आम तोड़कर उसे ट्रकों से फल मंडी में पहुँचाते हैं।

दूसरा— व्यापारी किसानों से उनके आम के बगीचे तीन या पाँच साल की अवधि के लिए भी खरीद लेते हैं एवं किसान को पैसे के अलावा प्रत्येक वर्ष फल आने पर उत्पादन का कुछ हिस्सा देते हैं।

तीसरा— कुछ बड़े किसान खुद अपने आम को बागान से तोड़कर मंडी तक पहुँचाते हैं। इसमें इन्हें ज़्यादा कमाई होती है।



इसके बाद महताब साहब ने आम मंडी से सटी लीची मंडी में ले जाकर हम लोगों को लीची के बारे में बताया। लीची भी इन्हीं बाज़ार कड़ियों से होकर जगह-जगह और देश के कोने-कोने तक पहुँचती है। भारत का कुल लीची उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत बिहार में होता है। यहाँ की शाही लीची काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है। इसलिए मुजफ्फरपुर से ट्रेन एवं ट्रक से लीची कानपुर, दिल्ली, मुम्बई एवं देश के कई बड़े शहरों में व्यापारियों के माध्यम से भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर में कई लीची प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें लीची से जूस, जैम, जेली, मधु आदि बनाए जाते हैं।

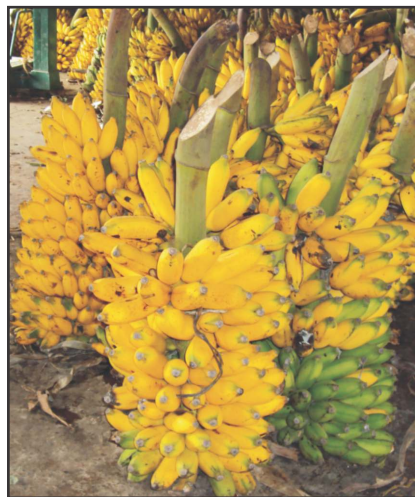


फलों एवं सब्ज़ियों को ज़्यादा समय तक बचाये रखना संभव नहीं होता क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको अधिक समय तक बचाये रखने के लिए शीत-गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शीत-गृहों में अधिक समय तक इनका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। विगत वर्षों में

सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाये हैं।

बागवानी फसलें, जैसे कि फलों का विकास तभी संभव है जब इनकी प्रसंस्करण इकाइयाँ लगायी जाएँ। इनके कई उत्पाद इन इकाइयों द्वारा तैयार की जाय। फल प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने की बिहार में काफी संभावना है। इस दिशा में सरकार के द्वारा काफी प्रयास हुए हैं।

इसके बाद महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग में ले गये जहाँ केले के बड़े-बड़े आदृत थे। यहाँ केले के छोटे-बड़े घोंध नज़र आ रहे थे। फल मंडी में केला मुख्यतः वैशाली एवं आस-पास के क्षेत्रों तथा नवगछिया एवं भागलपुर क्षेत्र से आता है। पूरे राज्य का लगभग 50 प्रतिशत केला इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होता है। केला उत्पादक किसान प्रायः केला स्थानीय व्यापारियों को खेतों में ही बेच देते हैं। स्थानीय व्यापारियों से केले के थोक व्यापारी खरीद कर इन्हें ट्रकों से फल-मंडी भेज देते हैं।



अब धूप तेज़ होने लगी थी। कुछ बच्चे वहाँ ठेले पर बिक रहे गन्ने के रस को पीने की इच्छा व्यक्त करने लगे।



रस पीते हुए महताब साहब ने कहा कि इस मंडी में ईख भी आते हैं लेकिन गन्ना सिर्फ इन्हीं रस बेचने वालों द्वारा खरीदा जाता है। गन्ने द्वारा मुख्यतः चीनी और गुड़ बनाया जाता है। कई गन्ना उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें चल रही हैं, वहाँ सीधे मिल को गन्ना बेच देते हैं। इसमें उन्हें काफी

अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कई छोटे किसान तथा वैसे किसान जिनके आस-पास चीनी मिल नहीं है, गन्ना की पेराई कर गुड़ बना लेते हैं। गुड़ की भी अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है। हालाँकि



गुड़ बनाने में अधिक श्रम तथा समय लगता है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। दुर्भाग्य है कि आज बिहार की लगभग सभी मिलें बन्द हैं।



जूट



जूट बिहार की एक प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। पूर्णिया के गुलाबबाग में जूट की बहुत बड़ी मंडी है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन आदि में होता है। पर्यावरण संरक्षण कारकों से जूट और उससे निर्मित वस्तुओं की माँग एवं बाज़ार निरंतर बढ़ रहा है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफी संभावनाएँ हैं। इससे किसानों को काफी फायदा होगा।

1. शीतगृहों के निर्माण से किसे फायदा हो सकता है? चर्चा करें।
2. अपने घर और आस-पास सर्वे करें कि पिछले 15 वर्षों में लोगों की फल की खपत में क्या-क्या परिवर्तन आए और क्यों?
3. बिहार में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की क्या-क्या संभावनाएँ हैं? चर्चा करें।
4. 'स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। 1942-43 में राज्य में कुल 32 चीनी मिलें थीं जबकि देश भर में सिर्फ 140 चीनी मिलें थीं। वहीं 2000 तक राज्य में चीनी मिलों की संख्या घट कर सिर्फ 10 रह गयी जबकि भारत वर्ष में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 495 हो गयी।'

पता करें यह बदलाव कैसे हुआ?

5. बिहार में चम्पारण, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पटना एवं सहरसा प्रमुख गन्ना उत्पादक ज़िले हैं, इन्हें मानचित्र में दिखाएँ।

?

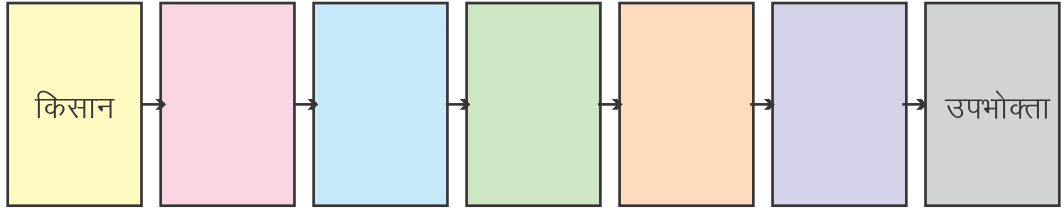


बाज़ार की कड़ियों को समझते हुए हमने देखा कि किसान की फसल मंडी या मिल तक कैसे पहुँचती है। कुछ किसानों का फसल का उचित भाव मिल पाता है परंतु बहुत से छोटे किसान इससे वंचित रहते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव भी सामने आए।

हमने यह भी समझा कि थोक बाज़ार या मंडी के कारण फसल एक जगह पहुँचती है और फिर दूर-दूर के उपभोक्ताओं तक अन्य व्यापारियों द्वारा पहुँचाया जाता है। इन कड़ियों को समझते हुए कई संभावनाओं के फायदे नुकसान पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शीतगृहों का होना, उद्योग लगाना, फसलों में बदलाव लाना आदि। असमानता को कम करने के लिए यह ज़रूरी है कि मंडी व्यवस्था बेहतर बने और इसका लाभ छोटे और मध्यम किसानों तक पहुँचे।

अभ्यास

1. आपके अनुसार अरहर किसान से किस प्रकार आपके घरों में दाल के रूप में पहुँचता है? दिये गये विकल्पों में से खाली बॉक्स भरें।



विकल्प –

- (i) दाल मिल
- (ii) खुदरा व्यवसायी
- (iii) स्थानीय छोटे व्यवसायी
- (iv) बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी
- (v) स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी

2. स्तंभ क' को स्तंभ ख से मिलान करें।

स्तंभ क	स्तंभ ख
(i) शाही लीची	(क) भागलपुर
(ii) दुधिया मालदह	(ख) मुजफ्फरपुर
(iii) मखाना	(ग) दीघा (पटना)
(iv) जर्दालु आम	(घ) दरभंगा

3. कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इससे किसानों को क्या फायदा होता है?
4. निम्नलिखित फसलों से बनाये जाने वाले विभिन्न उत्पादों को लिखें। इन उत्पादों को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

क्रम सं.	फसल	उत्पाद
1	गेहूँ	
2	मक्का	
3	लीची	
4	गन्ना	
5	जूट	

5. निम्नलिखित फसलों के सामने के खाली बॉक्स को भरें।

अपने आस-पास के अनुभव के आधार पर

क्रम	फसल	किस स्थानीय मंडी में बेचा?	किसानों को क्या भाव प्राप्त हुआ?	वहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है?
1	चावल			
2	गेहूँ			
3	मक्का			
4	आम			
5	केला			



6. दिये गए चित्र में गुप्त रूप से आम का भाव तय किया जा रहा है। खुली नीलामी प्रक्रिया इससे कैसे भिन्न है, चर्चा करें।